

भारत सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
आंध्रप्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद
'डी' ब्लॉक, 9 वीं मंजिल, आयकर शिखर
10-2-3, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500 004



GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad
'D' Block, 9th Floor, IT Towers,
10-2-3, A.C.Guards, Hyderabad – 500 004

फा.सं./प्रमुआआ/हैद./रा.भा./32/धारा 3(3)/2022-23

दिनांक: 01.07.2022

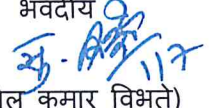
सेवा में,
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
हैदराबाद,

विषय :- स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी द्विभाषी आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड
किये जाने के संबंध में ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि आपके कार्यालय से प्राप्त स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी आदेश संख्या 14 दिनांक 28.06.2022, संबंधी आदेश संख्या 15 दिनांक 29.06.2022, एवं आदेश संख्या 16 दिनांक 29.06.2022 का हिंदी अनुवाद इस पत्र के साथ संलग्नित करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

संलग्नक : यथोपरि / उपर्युक्त

भवदीय

(सुनील कुमार विभूते)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्र.मु.आ.आ., हैदराबाद



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax

Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

10th Floor, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन - 040: 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Telephone- 040: 23425474, Fax-23241427, Fax-040-23240403

फा.सं.प्र.मु.आ.आ./4(25)/स्थापना/नोटिस सर्वर/2022-23

दिनांक: 29.06.2022

विषय: स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, नोटिस सर्वर का स्थानान्तरण एवं तैनाती आदेशों को जारी करने के संबंध में।

आदेश संख्या 2022 का 16:

एतद्वारा नोटिस सर्वर का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक जारी किया जाता है।

स्टेशन के अन्तर्गत

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	शंकर मंगल दीन	आयकर कार्यालय, आदिलाबाद	आयकर कार्यालय, निर्मल
2.	शिवशंकर राव एस	आयकर अपर आयुक्त, कुर्नूल	आयकर कार्यालय, नंदयाल
3.	जफ्फर वाली के	आयकर उप आयुक्त (वीयू)-1(2)(1), गुंटूर, अनंतपुर में स्थित	आयकर कार्यालय, गुंटकल
4.	गौस शरीफ अब्दुल लतीफ	आयकर कार्यालय, अदोनी	आयकर अपर आयुक्त, कुर्नूल
5.	सूरी बाबू बोर्ला	आयकर कार्यालय, अमलापुरम	आयकर अपर आयुक्त, राजमहेंद्रवरम रेंज
6.	श्रीनिवास राव गट्टा	आयकर कार्यालय, बापटला	आयकर कार्यालय, चिरला
7.	मल्लिकार्जुन राव कोट्टी	आयकर कार्यालय, तनुक्	आयकर अपर आयुक्त, काकीनाड़ा रेंज, काकीनाड़ा
8.	नक्का श्रीनिवास	आयकर कार्यालय, गुंटकल	आयकर उप आयुक्त (वीयू)-1(2)(1), गुंटूर, अनंतपुर में स्थित
9.	संयासी राव कडोरी	आयकर अपर आयुक्त, काकीनाड़ा रेंज, काकीनाड़ा	आयकर कार्यालय, अमलापुरम
10.	वैकटसूरु बापटला	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-1, गुंटूर	आयकर कार्यालय, बापटला
11.	जयकर बाबू वी	आयकर अधिकारी (वीयू)-1(1)(3), गुंटूर	आयकर अपर आयुक्त, टीडीएस रेंज, विजयवाड़ा
12.	लचर्या तडीगोपुला	आयकर उप आयुक्त (वीयू)1(3)(1), हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, करीमनगर
13.	श्रीनिवास राव वड्लामनु	आयकर कार्यालय, नरसाराव पेट	आयकर अधिकारी (वीयू)-1(2)(5), गुंटूर
14.	विजय चिट्टी	आयकर अपर आयुक्त, तिरुपति	आयकर कार्यालय, चितूर
15.	हनुमंत राजु चितराजु	आयकर अपर आयुक्त, (वीयू)-1(2), गुंटूर, विजयवाड़ा में स्थित	आयकर कार्यालय, मचलीपट्टणम

स्थानीय			
क्र.सं	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	लक्ष्मी नारायण मंडला	आयकर आयुक्त (अपील), एकक-2, गुंटूर	आयकर अपर आयुक्त, सेंट्रल रेंज, गुंटूर
2.	हनुमंत राव यू	आयकर आयुक्त (अपील), एकक-1, गुंटूर	आयकर अधिकारी (वीयू)-1(1)(3), गुंटूर
3.	शंकर राव बक्का	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-13, हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-2, हैदराबाद
4.	लावण्या जे	आयकर आयुक्त (अपील), एकक-6, हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-6, हैदराबाद
5.	मो. कुतुबुद्दीन	आयकर आयुक्त (अपील., एकक-4, हैदराबाद	आयकर अपर निदेशक (बीपीयू), हैदराबाद
6.	अजीम एम. ए.	आयकर आयुक्त (अपील), एकक-9, हैदराबाद	आयकर उप आयुक्त (वीयू)-1(3)(1), हैदराबाद
7.	वेंकटेश नगुलापल्ली	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-2, हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-13, हैदराबाद
8.	देवानंद जनपाला	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-6, हैदराबाद	आयकर अपर निदेशक (बीपीयू), हैदराबाद
9.	अनुमुला वेंकट रमण	आयकर अपर आयुक्त, (एयू)-4(2), हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, सेंट्रल रेंज-2, हैदराबाद
10.	वेंकटेश देवरा	आयकर अपर आयुक्त, (वीयू)-1(2), हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-8, हैदराबाद
11.	वेंकटय्या पाशम	प्रधान आयकर आयुक्त-4, हैदराबाद	आयकर अपर आयुक्त, (छूट), हैदराबाद
12.	नागेश्वर राव मंगम	आयकर अपर आयुक्त, (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), विजयवाड़ा	आयकर अपर आयुक्त, (वीयू)-1(2), गुंटूर, विजयवाड़ा में स्थित
13.	वेंकट सुब्रमण्यम निदमर्ति	आयकर अधिकारी (वीयू)-1(3)(6), गुंटूर, विशाखापट्टणम में स्थित	आयकर अपर आयुक्त, रेंज-1, विशाखापट्टणम

- सभी कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक 05.07.2022. तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें।
- यदि किसी कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता है तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा।
- स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।
- कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक 07.07.2022. तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखे जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात अधिकारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है। यह भी नोट करें कि कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है।
- यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।

8. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (अराजपत्रित) एवं समूह "सी" (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानांतरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानांतरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।
9. यह आदेश प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सी.वी. पवन कुमार)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे), हैदराबाद और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र के सभी मु.आ.आ.,
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्रधान आयकर आयुक्त / प्रधान आयकर निदेशक /आ.आ./आ.नि.
4. आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र के सभी प्रमुख
5. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेलं. इकाई /आईटीसेवा, आईटीओबीसी संघ, हैदराबाद
6. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, सी.बी.डी.टी., हैदराबाद
7. कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद के सभी अनुभाग
8. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल

पी. कृष्ण कुमार

(पी. कृष्ण कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद